उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या–**849** / का–2 / 2021

लखनऊ, दिनांक: **०७** अक्टूबर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

भर्ती के नियमों में योग्यता का उल्लेख स्पष्ट होना अतयंत आवश्यक है। कतिपय मामलों में सम्बन्धित नियमावलियों में भर्ती हेतु विहित योग्यता के साथ–साथ उसकी समकक्ष अर्हता का भी, प्राविधान होता है किन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष अर्हता क्या होगी यह स्पष्ट नहीं होता है। विभागों द्वारा भर्ती के नियमों में विहित अर्हता की समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किये बिना ही अधियाचन आयोगो / बोर्डों को प्रेषित कर दिया जाता है तथा चयनकर्ता अधिकरणों द्वारा भी समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किये बिना ही पद विज्ञापित कर दिया जाता है। इससे चयन प्रकिया में अनेक कठिनाईयॉ उत्पन्न होती है तथा विभिन्न मा. न्यायालयों में अनेक वाद योजित होते है, जिससे चयन प्रकिया पूर्ण होने में अनावश्यक रूप विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः जहॉ कहीं भी भर्ती की अर्हता के समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो वहॉ समकक्ष अर्हता को चयन प्रकिया आरम्भ होने से पूर्व ही स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। रिट याचिका संख्या–656 / 2020(रिट–ए) श्री विकास एवं 80 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 17.09.2021 को निम्नवत आदेश निर्गत किये गये है:–

".....The stand of the Department of Personnel has already been noticed and recorded in these proceedings. The Court finds no justification for other departments and constituents of the State not following and adopting an identical practice. In view of the above, let a copy of this judgment be placed before the Chief Secretary of the Government of U.P. to instruct all other departments, agencies and entities of the State to henceforth ensure that the question of equivalence of qualifications, where the rules of recruitment so envisage as conferring eligibility, shall be determined prior to the commencement of any recruitment exercise. The Chief Secretary shall place an affidavit of compliance in this respect on the record of this writ petition within a period of 1 month from today."

2. अतः मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जहॉ कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ–साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो वहॉ चयन प्रकिया प्रारम्भ पूर्व ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरान्त ही चयन हेतु अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाय। चयनकर्ता अधिकरणों यथा–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि भी पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

मुख्य सचिव।

संख्या–**849**(1)/का–2/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
5. सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
6. समस्त भर्ती बोर्ड, उ0प्र0।
7. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।